न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 74/2022

1. मीरा देवी पुत्री धापा देवी पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन 1 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—— प्रार्थीया

–:बनाम:–

1. पारी देवी पुत्री धापा देवी पत्नी जयमलराम जाति जाट साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
3. उप पंजीयक गोलूवाला तहसील पीलीबंगा।

—— अप्रार्थीगण

–::प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा::–

–::उपस्थित अभिभाषकगण::–

1. श्री जगराज सिंह भारी —— प्रार्थीया
2. श्री सोहन लाल सुथार —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 2
4. उप पंजियक गोलूवाला तहसील पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 21/06/24

प्रार्थना पत्र मार्फत अधिवक्ता श्री सोहन लाल सुथार द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है है कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 का सजना खानदान प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया की माता धापा पत्नी लिछमण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 35 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 94/38 के प.नं. 25/234 (41) किला नं. 1 ता 25/2 की 6.325 हैक्ट. अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड वाके है। प्रार्थीया की माता धापा पत्नी लिछमण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 39/31 के प.नं. 17/236 (47) किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। प्रार्थीया की माता धापा देवी पत्नी लिछमण का स्वर्गवास दिनांक 15.09.1991 को हो चुका है जिसके प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.1 व अमरी देवी पुत्री कुल 3 वारीस है। कोई पुत्र सन्तान नहीं है। प्रार्थीया की बहन अमरी देवी का लाऔल्लाद स्वर्गवास हो चुका है। चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र माता धापा देवी व असल शपथ पत्र वारीसान संलग्न है। प्रार्थना पत्र पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि धापा देवी पत्नी लिछमण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि धापा देवी के फौत होने के पश्चात धापा देवी के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित धापा देवी के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा बनता था परन्तु अमरी देवी के आलौल्लाद फौत होने के पश्चात उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा मुताबिक वारीसान धापा देवी के बनता है। प्रार्थीया को प्राप्त होने वाली कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मृतक धापा देवी के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये प्रार्थीया अपने 1/2 हक व हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.24 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड) अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी सं. 1 जिसके पुत्र अत्यंत लालची किस्म के है। वे अपनी माता व अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीया अपने पैतृक हक व हिस्सा से महरूम हो सकती है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण मृतक धापा देवी के नाम दर्ज कृषि भूमि बाबत कोई दस्तावेज निष्पादित न करवाये व भूमि को बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 35 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 94/38 के प.नं. 25/234 (41) किला नं. 1 ता 25/2 की 6.325 हैक्ट. अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में धापा देवी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा व चक 36 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 39/31 के प.नं. 17/236 (47) किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में धापा देवी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा बाबत् कोई दस्तावेज निष्पादित न करवाये व उक्त कृषि भूमि को बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मार्फत अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी द्वारा प्रस्तु किया गया जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 में उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया जाना मात्र स्वीकार है जिसमें प्रार्थीया की कामयाबी की कोई संभावना नहीं है इस कारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित सजरा खानदान दावा हाजा से सुसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 35 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 25/234 (41) किला नम्बर 1 ता 25/2 की 6.325 हैक्ट. मय गैरमुमकिन खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा धापादेवी की थी लेकिन धापादेवी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 16.02.85 को उपरोक्त कृषि भूमि व चक 36 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नं. 17/236 किला नं. 1/1 ता 25 तादादी 6.325 हैक्ट. **में से** 1/2 हिस्सा की वसीयत अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से रोबरू गवाहान अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाई है। मुताबिक वसीयत उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या–1 व बहादर उर्फ प्रकाश पुत्र जयमल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान के हक व अधिकार की है। प्रार्थना पत्र पत्र की चरण संख्या–4 में वर्णित कृषि भूमि चक 36 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 17/236 (47) किला नम्बर 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्टक्षटेयर मय गैरमुमकिन में 1/2 हिस्सा धापादेवी पत्नि लिक्ष्मण की थी लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि व पत्थर नं0 25/234 (41) किला नं0 1 ता 25/2 की 6.325 हैक्टक्षटेयर मय गैरमुमकिन में से अपना 1/2 हिस्सा की वसीयत अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से अप्रार्थी संख्या–1 व बहादर उर्फ प्रकाश पुत्र जयमल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाई। मुताबिक वसीयत उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश के हक व अधिकार की है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–5 में वर्णित धापादेवी की मृत्यु होना स्वीकार व शेष कथन दावा हाजा से सुसंगत नहीं है। क्योंकि धापादेवी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 16.02.85 को अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित अपने हिस्सा की कृषि भूमि की वसीयत रोबरू गवाहान अप्रार्थी संख्या–1 व बहादर उर्फ प्रकाश पुत्र जयमल के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवा दी।प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–6 में वर्णित तथ्य जिस कदर बयान किये गये है अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमि धापादेवी की कृषि भूमि थी । प्रार्थीया का यह कथन कतई

Signature Not Verified
Digitally signed by Amrit Bishnoi
Date: 2024.05.24 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि हो तथा जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो। प्रार्थीया का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित धापादेवी के नाम से वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा बनता हो। प्रार्थीया का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि अमरीदेवी के लाऔलाद फौत होने के पश्चात् उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा बनता हो। वस्तुतः धापादेवी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा की वसीयत अप्रार्थी संख्या–1 व बहादर उर्फ प्रकाश पुत्र जयमल के पक्ष में निष्पादित कर उप पंजीयक से पंजीबद्ध करवाई है। मुताबिक वसीयत अप्रार्थी संख्या–1 व उसका पुत्र बहाद उर्फ प्रकाश की उपरोक्त कृषि भूमि की हकदार है। अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश ने उपरोक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ने दिनांक 03.06.92 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4 में वर्णित भूमि का नामान्तरण स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि धापादेवी की स्वःअर्जित सम्पति है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित कृषि भूमि का भी नामान्तरण दर्ज करवाने की कार्यवाही अप्रार्थी संख्या–1 व उसका पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश कर रहे हैं। प्रार्थीया को उपरोक्त वसीयत का शुरू से ज्ञान रहा है प्रार्थीया कोई भी घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध मिथ्या कथन किये हैं। प्रार्थीया का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या – 1 जिसके पुत्र अत्यन्त लालची किस्म के हों। प्रार्थीया का यह कथन कि वे अपनी माता व अपने पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेज निष्पादित करवाना चाहते हों जिससे प्रार्थीया के पैतृक हक व हिस्सा से महरूम हो सकती हो। उक्त कथन न केवल मिथ्या है बल्कि हास्यास्पद है। अप्रार्थी संख्या–1 को अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को किसी को भी देने का अधिकार प्राप्त है इससे प्रार्थीया को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आई है। प्रार्थीया ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है इस कारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है जो यह है कि धापादेवी जो कि अप्रार्थी संख्या–1 की माता थी, की सेवा श्रुषा अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश ने की। धापादेवी ने अप्रार्थी संख्या – 1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश की सेवा श्रुषा से प्रसन्न होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित अपने हिस्सा की कृषि भूमि अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से दिनांक 16.02.85 को अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध करवाई। धापादेवी की मृत्यु दिनांक 15.09.1998 को हुई। उपरोक्त वसीयत दिनांक 16.02.85 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार ने दिनांक 03.06.92 को चक 36 एलएलडब्ल्यू की कृषि भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा चक 35 एलएलडब्ल्यू की नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। चक 36 एलएलडब्ल्यू का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश के नाम स्वीकृत हो चुका है, लेकिन जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश का नाम दर्ज नहीं हुआ है। इस सम्बंध में भी अप्रार्थी संख्या–1 अलग से कार्यवाही करने जा रही है। यह कि धापादेवी ने भी प्रार्थीया आदि को अपने जीवनकाल में ही नगदी, जेवरात व जमीन के रूप में उचित हक व हिस्सा दे दिया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या–1 को कुछ हिस्सा कम दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.24 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

धापादेवी की सेवा सुश्रुषा अप्रार्थी संख्या–1 व बहादर उर्फ प्रकाश ने की थी। उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए धापादेवी ने अप्रार्थी संख्या–1 व उसके पुत्र की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में अपना 1/2 हिस्सा की वसीयत दिनांक 16.02.85 को अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से रोबरू गवाहान अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्र बहादर उर्फ प्रकाश के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाई। यह कि अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के प्रभाव में रहते प्रार्थीया का वाद पत्र विधि अनुसार पोषणीय न होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में बहादर उर्फ प्रकाश पुत्र जयमल जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में प्रार्थीया का वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

स्टेट जबाब तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त किया गया जिसमें राज्यपक्ष को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण कर दिया जावें तो हमें कोई एतराज नही है।

जवाब उल जवाब अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा 04.01.2024 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें कथन किया है कि अतिरिक्त कथन की दफा 11 अस्वीकार है। प्रार्थीया श्रीमान जी के न्यायालय में बिल्कुल स्वच्छ हाथो से पेश हुई है। प्रार्थीया द्वारा अपनी माता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने विरास्तन हक व हिस्सा की घोषणा करवाने का दावा प्रस्तुत किया जिसकी प्रार्थीया घोषणा करवाने की पूर्ण हकदार है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 12 अस्वीकार है। धापा देवी द्वारा ऐसी कोई वसीयत अपनी स्वेच्छा से किसी के पक्ष में नही करवाई है। अप्रार्थी सं. 1 के बहादर नाम का कोई दस्तावेजी पुत्र नही है। ना ही अप्रार्थी सं. 1 ने बहादर के अपने पुत्र होने के कोई साक्ष्य सबूत पेश किये, अप्रार्थी सं. 1 को मृतक धापा देवी अपनी सारी सम्पत्ति नही देना चाहती थी न ही ऐसी कोई वसीयत निष्पादित करवाना चाहती थी। अप्रार्थी सं. 1 के बहादर नाम का कोई पुत्र नही है । अप्रार्थी सं. 1 के कुल 5 वारीस है जिनके नाम क्रमशः दलीप कुमार, सुलोचना देवी, लाली देवी, मन्जू देवी व प्रकाश कुमार है। बहादर नाम का व्यक्ति अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र नही है। प्रकाश कुमार के साथ बहादर का नाम उर्फ 0/24 लगाकर सम्पत्ति को हड़पने की नियत से वसीयत पेश की है। बहादर के नाम वसीयत में दर्ज कृषि भूमि होने व बहादर के नाम वसीयत में दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करवाने की कार्यवाही कहां विचाराधीन है इससे सम्बधिंत कोई दस्तावेज पेश नही किये है। ऐसी ना ही कोई कहीं कोई कार्यवाही विचाराधीन है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थी सं. 1 के पास है। अगर बहादर नाम का कोई व्यक्ति है तो उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में बतौर वसीयत के जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनकर अपना हित उक्त दावा में रख सकता है। इसलिये वसीयत प्रार्थीया के हितो पर शुरू से ही निष्प्रभावी व शून्य दस्तावेज है जो कि बिना किसी व्यक्ति के की गई है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 13 अस्वीकार है। धापा देवी की सेवा चाकरी प्रार्थीया नें धापा देवी के जीवनकाल से मरणासन्न तक की है। वसीयत का धापा देवी को कोई ज्ञान नही था। धापा देवी की कृषि भूमि को हड़पने के लिये किसी अन्य महिला के द्वारा करवाया गया दस्तावेज है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 14 अस्वीकार है। मृतक धापा देवी स्वयं द्वारा कोई वसीयत नहीं करवाई गई है व ना ही ऐसी कोई वसीयत करवाने की धापा देवी की मंशा रही है। तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है जो कि प्रार्थीया के हितो पर अप्रभावी है व शुरू से ही काबिल खारिज के है। यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 15 अस्वीकार है। अतः जबाब अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि जवाब अतिरिक्त कथनो को खारिज फरमाया जावे व प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.24 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested

—:आदेश:—

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुए कथन किये गए जिनपर बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में उभयपक्ष की माता धापा देवी का निधन होने के कारण एवं धापा देवी प्रश्नगत भूमि की संपूर्ण स्वामिनी है वह अपनी संपत्ति को इच्छानुसार निष्पादित करवाने की अधिकारिणी है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम कानून के विपरीत है जो चलने योग्य नहीं है। मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेश जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेश आज दिनांक 21/06/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.24 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested